न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 139/2017

1. सुभाष चन्द्र
2. मुकेश कुमार

} पिसरान श्री कृष्णलाल जाति जाट निवासीयान गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1. कृष्णलाल पुत्र श्री सदाराम जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर (राज.)

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा व खाता तकसीम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री ऋषिपाल जोशी अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री विजय कुमार भाटी अधिवक्ता — प्रतिवादी संख्या 1
3. पैरोकार राज — प्रतिवादी संख्या 2

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 31.07.2017

वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि चक 5 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के खाता संख्या 13/9 के मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 2 ता 4, 7 ता 9, 12 ता 14 (प्रत्येक में 0.253 हैक्टर), 17/2 (0.190 हैक्टर), 18, 19, 22, 23 (प्रत्येक में 0.253 हैक्टर) कुल 3.479 हैक्टर नहरी कृषि भूमि वादीगण के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 (कृष्णलाल पुत्र सदाराम) के नाम जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। वादीगण के पिताजी प्रतिवादी संख्या 1 कृष्णलाल के नाम दर्ज कृषि भूमि वादीगण के दादाजी सदाराम पुत्र पीराराम से प्राप्त हुई है। वादीगण के पिताजी प्रतिवादी संख्या 1 कृष्णलाल के नाम दर्ज 3.479 हैक्टर कृषि भूमि वादीगण के दादाजी से, वादीगण के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई होने के कारण विरास्तन जायदाद है। वादीगण का इस भूमि में जन्म से ही हक व अधिकार है जिसे वादीगण घोषित करवाने के अधिकारी है। चक 5 क्यू के खाता संख्या 13/9 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न वाद पत्र है ।

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने पारस्परिक सहमति से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज उक्त वर्णित चक 5 क्यू की कृषि भूमि का निम्न प्रकार घरेलू बंटवारा किया है :–

बंटवारा अनुसार रकबा प्राप्तकर्ता	रकबा का विवरण
सुभाष चन्द्र पुत्र श्री कृष्णलाल जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर	चक 5 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के खाता संख्या 13/9 के मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 2, 9, 12 (प्रत्येक में 0.253 हैक्टर) = 0.759 हैक्टर नहरी

मुकेश कुमार पुत्र श्री कृष्णलाल जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर	चक 5 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के खाता संख्या 13/9 के मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 3, 8, 13 (प्रत्येक में 0.253 हैक्टर) = 0.759 हैक्टर नहरी
कृष्णलाल पुत्र सदाराम जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर	चक 5 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 के खाता संख्या 13/9 के मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 4, 7, 14, (प्रत्येक में 0.253 हैक्टर), 17/2 (0.190 हैक्टर), 18, 19, 22, 23 (प्रत्येक में 0.253 हैक्टर), = 1.961 हैक्टर नहरी

उक्त घरेलू बंटवारा अनुसार वादीगण अपने अपने हिस्सा में आई उक्त वर्णित कृषि भूमि के काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हिस्सा में आई कृषि भूमि में से किला नम्बर 4, 7, 14 (प्रत्येक में 0.253 हैक्टर), 17 (0.190 हैक्टर) = 0.949 हैक्टर नहरी कृषि भूमि पूर्व में हुए समझौता अनुसार अपने भाई की धर्मपत्नी श्रीमती अमरी देवी को उपहार में दी हुई है शेष कृषि भूमि के प्रतिवादी संख्या 1 काबिज काश्त है। इस घरेलू बंटवारा अनुसार वादीगण को प्राप्त हुई भूमि को घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाना जरूरी है।

उक्त विभाजन में आई भूमि वादीगण के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादीगण को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है। वादीगण उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकते है, ना ही वह उस पर कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा आदि की सुविधा ले सकते है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 कृष्णलाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण तथा वह उसका खातेदार मालिक दर्ज होने के कारण, प्रतिवादी संख्या 1, उक्त कृषि भूमि से जबरदस्ती बेदखल कर उसका बेचान करने की वादीगण को धमकियां देता रहता है।

प्रतिवादी संख्या 1 उक्त रकबा को गलत तौर से मुन्तकिल करने की कोशिश में है इसलिए वादीगण अपने हिस्से में आई कृषि भूमि को, अपने नाम से दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादीगण ने, प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 06.07.2017 को, वादीगण को बंटवारा में दी गई कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतू कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गया है । यही बिनाय मुखास्मत है।

अतः वाद पत्र पेश करने निवेदन है कि वादीगण का वाद पत्र, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार सादिर फरमाया जावे :–

1. प्रतिवादी संख्या 1 कृष्णलाल के नाम दर्ज चक 5 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के खाता संख्या 13/9 के मुरब्बा नम्बर 44 की कुल 3.479 हैक्टर नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से मुरब्बा नम्बर 44 किला नम्बर 2,9,12 (प्रत्येक में 0.253 हैक्टर) = 0.759 हैक्टर नहरी कृषि भूमि वादी संख्या 1 सुभाष चन्द्र पुत्र श्री कृष्णलाल जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील श्रीगंगानगर की एवं मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 3, 8, 13 (प्रत्येक में 0.253 हैक्टर) = 0.759 हैक्टर नहरी वादी संख्या 2 मुकेश कुमार पुत्र श्री कृष्णलाल जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की घोषित किया जावे ।
2. उक्त बंटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे तथा अलग–अलग लगान कायम किया जावे।
3. वादीगण को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

4. अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादीगण के हित में समझे दिलवाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवम् प्रतिवादी के मध्य आपसी राजीनामा होनें के कारण न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादीगण एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये वादीगण की पहचान श्री ऋषीपाल जोशी अधिवक्ता तथा प्रतिवादी की पहचान श्री विजयसिंह भाटी अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादीगण एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि उक्त अनवानी शीर्षक दावा में पक्षकारान का पंचायत वा मौतबिरान लोगो ने राजीनामा करवा दिया है तथा पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपनी स्वेच्छा से राजीनामा कर लिया है। पक्षकारान का अब कोई मनमुटाव नहीं रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 कृष्णलाल के नाम दर्ज चक 5 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के खाता संख्या 13/9 के मुरब्बा नम्बर 44 की कुल 3.479 हैक्टर नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से मुरब्बा नम्बर 44 किला नम्बर 2, 9, 12 (प्रत्येक में 0.253 हैक्टर) = 0.759 हैक्टर नहरी कृषि भूमि वादी संख्या 1 सुभाष चन्द्र पुत्र श्री कृष्णलाल जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील श्रीगंगानगर की एवं मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 3, 8, 13 (प्रत्येक में 0.253 हैक्टर) = 0.759 हैक्टर नहरी वादी संख्या 2 मुकेश कुमार पुत्र श्री कृष्णलाल जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर को घरेलू बंटवारा अनुसार दी हुई है।

अतः चक 5 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के खाता संख्या 13/9 के मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 2, 9, 12 (प्रत्येक में 0.253 हैक्टर) = 0.759 हैक्टर नहरी कृषि भूमि वादी संख्या 1 सुभाष चन्द्र पुत्र श्री कृष्णलाल जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील श्रीगंगानगर की एवं मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 3, 8, 13 (प्रत्येक में 0.253 हैक्टर) = 0.759 हैक्टर नहरी वादी संख्या 2 मुकेश कुमार पुत्र श्री कृष्णलाल जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की घोषित की जाकर डिक्री जारी कर दी जावे व उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान उसमें पूर्णतः सहमत है।

राज पैरोकार द्वारा राज्य सरकार की और से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि वाद पत्र वर्णित भूमि का पक्षकारान के मध्य आपसी विवाद है राज्य पक्ष से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। सुनवाई राज्य पक्ष के हितो को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित किया जावे तो राज्य पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।

चुँकि प्रकरण में वादीगण एवम् प्रतिवादी के मध्य कोई प्रतिवाद नहीं होनें से तनकियात नहीं बनाई गई। वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये। वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामे तथा शपथ पत्र पर बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्ता नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

हमनें वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। जिसके अनुसार चक 5 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के खाता संख्या 13/9 के मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 2 ता 4, 7 ता 9, 12 ता 14 (प्रत्येक में 0.253 हैक्टर), 17/2 (0.190 हैक्टर), 18, 19, 22, 23 (प्रत्येक में 0.253 हैक्टर) कुल 3.479 हैक्टर नहरी कृषि भूमि वादीगण के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 (कृष्णलाल पुत्र सदाराम) के नाम जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। जो कि प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक सम्पत्ति है जिसमे से वादीगण अपना हक घोषित करवाने के अधिकारी होना न्यायोचित पाया गया

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार चक 5 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के खाता संख्या 13/9 में प्रतिवादी संख्या 1 सुभाष चन्द्र पुत्र कृष्णलाल को 0.759 हैक्टर तथा मुकेश कुमार पुत्र कृष्णचन्द्र को 0.759 हैक्टर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

1. वादी संख्या 1 सुभाष चन्द्र पुत्र श्री कृष्णलाल जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि :–

क्र. सं.	चक नम्बर	खाता संख्या	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
1.	5 क्यू.	13/9	44	2/.253, 9/.253, 12/.253	0.759 हैक्टर

2. वादी संख्या 2 मुकेश कुमार पुत्र श्री कृष्णलाल जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि :–

क्र. सं.	चक नम्बर	खाता संख्या	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
1.	5 क्यू.	13/9	44	3/.253, 8/.253, 13/.253	0.759 हैक्टर

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 31.07.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर